# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा

श्री रमेशचन्द नेगवाडा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R.A. नं. 33/ सन् 2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/7/15 | प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी करना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।<br><br>हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील विजयनगर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1819 रकबा 00-16-00 बिस्वा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।<br><br>-: आदेश :-<br><br>प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील विजयनगर के अनुसार आराजी खसरा नं. 1819 रकबा 00-16-00 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थर गढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थर गढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार विजयनगर को दो प्रतियों मे रुक्का जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 20/7/15 को केम्प कोर्ट कार्यालय हाजा पर सुनाया गया।<br><br>Au<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मसूदा (अजमेर)<br><br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:20:47 IST
Reason: SelfAttested